न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः— कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस))

मुकदमा नम्बर 02/2019 दायर दिनांक :— 9.01.2019

निर्णय दिनांकः— 12.02.2021

श्री कचरा पुत्र स्व. मानजी पटेल उम्र 70 वर्ष निवासी ओडा छोटा, पटवार मण्डल नवलश्याम, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर

—प्रार्थी

बनाम

1 श्री केहोर पुत्र स्व. बदा पटेल, उम्र वयस्क, निवासी ओडा छोटा

2 श्रीमति धुली पत्नि केहोर पटेल, उम्र वयस्क निवासी ओडा छोटा, पटवार मण्डल नवलश्याम, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर

3 श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार गलियाकोट जिला डूंगरपुर राजस्थान

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)आवंटन नियम 1970 के तहत ग्राम ओडा छोटा के खसरा नम्बर 364 मेसे आंवटित भूमि रकबा 2 बीघा के संबध मे।

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, एडवोकेट
विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से — श्री गला पटेल, एडवोकेट
विपक्षी सं. 3:— राजकीय पैरोकार

उपरोक्त प्रकरण माननीय जिला कलक्टर महोदय डूंगरपुर से आदेश दिनांक 3.03.2020 के जरिए स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि विपक्षीगण सं. एक व दो के नाम मीसल सं. 316/2013 दिनांक 31.01.2013 के जरिए आराजी नम्बर 364 मे रकबा 2 बीघा विपक्षीगण सं. एक व दो को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया हैं, जिसका नवीन नम्बर 1402/364 कायम हुआ है। उपरोक्त भूमि विपक्षीगण द्वारा मीस रिप्रजेन्टेशन से आवंटित करायी है, जो फ्रॉड की श्रेणी में आता है। आवंटी द्वारा भूमि पर नियमानुसार काश्त नही की गई है। आवंटन शर्तो की पालना नही हुई है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि आराजी संख्या 364 मे ही करीब चालीस वर्ष पूर्व प्रार्थी को आवंटन हुआ है जिसका नम्बर 1197/364 [illegible] इसी आराजी नम्बर मे अन्य भूमि 1198/364 व 1199 भी है जिस पर [illegible] अधिकार व स्वामित्व है। ऐसी परिस्थिति मे विपक्षीगण का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

विपक्षी सं. एक व दो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार किया जाकर कथन किया गया कि आवंटन विधि अनुसार किया गया है तथा आवंटन शुदा भूमि पर विपक्षीगण के द्वारा काफी धनराशी खर्चा किया जाकर भूमि को उपजाऊ बनाया है। प्रार्थी द्वारा तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी लेण्ड होल्डर की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही हुआ।

दौराने प्रकरण सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष यह बात सामने आने पर कि नक्षे मे तरमीम का स्पष्ट विवाद प्रतीत हो रहा है, जिस पर तहसीलदार बिछीवाडा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जो तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा दिनांक 11.12.2019 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत की जिस पर दौराने बहस विचार किया जाएगा।

प्रकरण मे प्रार्थी पक्ष की ओर से दस्तावेज आवंटन आवेदन पत्र, निर्णय आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 31.01.2013, जमाबंदी विपक्षी केहोर की संवत 2068 से 2071, नक्शा ट्रेस नया, जमाबंदी कचरा संवत 2068 से 2071, नक्शाट्रेस पुराना प्रस्तुत किए गए। विपक्षीगण की ओर से दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2068 से 2071, नक्शाट्रेस नया व पुराना प्रस्तुत किए गए है।

प्रकरण मे समस्त पक्षों के जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् बहस समाअत की गई। वकील प्रार्थी की ओर से दिनांक 12.6.2019 को लिखित बहस प्रस्तुत की। साथ ही प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्ता गण की ओर से अपनी मौखिक बहस मे अपने-अपने जवाब मे किए कथनों को दोहराया गया और प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी का कब्जा नही होने का तथ्य दौहराते हुए आवंटन निरस्त करने की मांग की।

हमारे द्वारा सभी पक्षों की बहस को सुना गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

प्रकरण मे विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी आवंटन निरस्त कराने का अधिकारी है ?

प्रकरण मे यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रकरण मे विपक्षी सं. एक व दो को 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है तथा उनके द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिए गए है।

प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए और मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन करने पर यह बात सामने आती है कि यह सब विवाद रेकार्ड मे पैमुदगी की अस्पष्टता को लेकर बन रही है, क्योंकि प्रार्थी की ओर से जो नक्शे प्रस्तुत किए गए है वह दोनो विविधता दर्शा रहे हैं और उसकी स्पष्टता मौका रिपोर्ट से हो रही है। प्रकरण अनुसार विपक्षी को आवंटित भूमि का नम्बर 1402/ 364 है जबकि प्रार्थी का नम्बर 1197/364 है। विपक्षी का रकबा दो बीघा है और प्रार्थी का रकबा 4 बीघा है। तहसीलदार बिछीवाडा से प्राप्त दोनो नक्शे एक पुराना नक्शा तथा एक नया नक्शा अंकित किया हुआ। पुराने नक्शे मे 1197/364 की स्थिति अलग है तथा नये नक्शे मे 1197/364 की स्थिति अलग है [illegible] पुराने नक्शे के आधार पर मौके पर काबिज होना बताया गया है ना कि [illegible] के आधार पर। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी जहां काबिज है उस जगह पर तो अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहता है [illegible] के कारण जो अंतर आ रहा है उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जगह पर भी अपना स्वामित्व रखना चाहता है। यही विवाद का असल कारण प्रतीत होता है। हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय के मौके का हस्तलिखित नक्शे का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा दो नक्शे (पैमूदगी किया गया एवं वास्तविक मौका स्थिति अनुसार) बनाए जाकर स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा वास्तविक मौके अनुसार जो नक्शा बनाया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी जहां काबिज है तथा उसे जहॉ भूमि आवंटित होकर पैमूद है उसके ऊपर उत्तर दिशा की तरफ अप्रार्थी सं. एक व दो को भूमि का आवंटन व काबिज होना बताया गया है, और विवाद का एक कारण यह भी बताया गया है कि अप्रार्थी को बाद वाले आवंटित खसरा नंबर को पुराने नक्शे पर ही ओवरलेप कर गया है। जिस कारण विवाद को बढावा मिल रहा है। चूंकि विवाद का वास्तविक बिंदु इस न्यायालय के समक्ष आ गया है और सम्पूर्ण प्रकरण से यह कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड से करवाया गया हो। ऐसी परिस्थिति मे अप्रार्थी के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नही पाता हूँ तथा अपीलान्ट कोई सहायता पाने का अधिकारी नही होने से उसका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाना उचित समझता हूँ। लेकिन इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आने पर कि मौके पर नक्शे मे तरमीम का विवाद है अगर उसको नही सुधारा गया तो विवाद यथावत बना रहेगा इसलिए मैं यह उचित पाता हूँ कि अपीलान्ट, तहसीलदार बिछीवाडा अपने अधीनस्थ पटवारी व गिरदावर के माध्यम से रेकार्ड नक्शे मे उचित संशोधन हेतु एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार बिछीवाडा को न्यायालय के निर्णय के साथ उनके द्वारा प्रेषित हस्तलिखित नक्शे की फोटो कॉपी भी प्रेषित की जावे ताकि वह उस अनुसार वास्तविक स्थिति का चित्रण नक्शे मे करवा सके और विवाद को एल आर एक्ट की धारा 136 के तहत समरी ट्रायल के माध्यम से समाप्त किया जा सके। साथ ही तहसीलदार बिछीवाडा को इस बात के भी निर्देश दिए जाते है कि वह प्रार्थी व विपक्षीगण को उनकी सीमा का ज्ञान स्पष्ट रूप से बताएं और उनका हस्ताक्षर युक्त कागज और नया तरमीम किए जाने वाला नक्शा उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के न्यायालय मे आज से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। अपीलान्ट, तहसीलदार बिछीवाडा के माध्यम से निर्णय मे उल्लेखित नक्शे की वास्तविक मौके पर काबिज भूमि पर तरमीम कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा न्यायालय को एक माह मे प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021.को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.08.16 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested